

मनरेगा में मूलभूत बदलाव

ओंकार नाथ झा

LNMU DEPARTMENT OF SOCIOLOGY

LNMU DEPARTMENT OF SOCIOLOGY

प्रस्तावना:- 2005 में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम जो 2 अक्टूबर 2006 को महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम से प्रसिद्ध हुआ जिसका पुनर्गठन और नया नाम के साथ भारत जी राम जी विधेयक 2025 विकसित भारत 2047 के साथ संयोजित नई सांविधिक संरचना के साथ मनरेगा का स्थान लेता है। यह कानून मनरेगा में व्यापक वैधानिक बदलाव का प्रतिनिधित्व करता है। भारत में मनरेगा से पहले भी कई रोजगार गारंटी योजना चलायी गयी वो इतना सफल नहीं हुआ जितना मनरेगा हुआ।

मनरेगा का विकास का ढांचा

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम में गांव में गरीब इच्छुक परिवार के अकुशल काम वाले को वर्ष में कम से कम 100 दिन की गारंटी वाला काम देकर उसका उत्थान करने का काम किया। पिछले कुछ वर्षों में इसमें कई सुधार हुआ जिसमें सहभागिता, पारदर्शिता और डिजिटल शासन में सुधार हुआ। मनरेगा में महिलाओं की सहभागिता पिछले कुछ सालों में बढ़ी है। बिहार में महिलाओं की सहभागिता लगभग 58% है। आधार सिडिंग में वृद्धि हुई, आधार वेस्ट पेमेंट को व्यापक स्तर पर अपनाया गया। कामों की निगरानी में भी सुधार हुआ।

लेकिन इन सब सुधारों के बावजूद निगरानी से पता चला कि कई राज्यों में जमीनी स्तर पर कार्य नहीं हो रहा है। कुछ लोग गलत तरीके से डिजिटल उपस्थिति प्रणाली का प्रयोग कर रहे थे। कुछ पदाधिकारी काम के बदले रिश्तत की मांग कर रहे थे। ऐसे में कुछ ही परिवार के सदस्य पूरे 100 दिन काम वर्ष में कर पाते थे और कुछ परिवार को औसतन 47-52 दिन ही काम मिल पाता था। इन सब खामियां को रोकने के लिए 2025 में व्यापक कानूनी बदलाव की आवश्यकता पड़ी है।

नए वैधानिक ढांचे की सीमा- मनरेगा में सुधार की आवश्यकता बड़े सामाजिक- आर्थिक बदलावों में भी निहित है, नये नाम के साथ विकसित भारत की राम जी कानून 2025 ग्रामीण रोजगार गारंटी को आधुनिक बनाने की जवाबदेही को सुदृढ़ करने और रोजगार सृजन को दीर्घावधि अवसंरचना और जलवायु अनुकूलता लक्ष्यों के साथ जोड़कर देता है।

विकसित भारत जी राम जी कानून 2025 की विशेषता -

यह कानून प्रत्येक वर्ष में ऐसे ग्रामीण परिवार को जो स्वेच्छा से बिना कौशल वाले काम के लिए तैयार हैं उसे 100 दिन के बदले 125 दिन रोजगार की गारंटी देता है तथा न्यूनतम मजदूरी को बढ़ाकर 300 प्रतिदिन निर्धारित किया गया है। रोजगार सृजन को चार प्राथमिकता वाले कार्य क्षेत्रों के माध्यम से अवसंरचना विकास के साथ जोड़ा गया है।

- जल संबंधी कार्यों के माध्यम से जल सुरक्षा
- मुख्य ग्रामीण अवसंरचना
- आजीविक से संबंधित बुनियादी ढांचा
- मौसम में बदलाव के असर को कम करने के लिए विशेष कार्य

मनरेगा बनाम विकसित भारत जी राम जी कानून 2025

नया कानून मनरेगा में बड़े सुधार का प्रतिनिधित्व करता है जिसमें रोजगार पारदर्शिता योजना और जवाबदेही को बढ़ाते हुए संरचनात्मक कमियों को मजबूत किया गया है।

इस योजना में पहले केंद्र सरकार का अंशदान 90% और 10% अंशदान राज्य सरकार का रहता था लेकिन अब इसमें केन्द्र सरकार का 60% और राज्य सरकार का 40% है।

मनरेगा मांग पर आधारित एक स्कीम थी। नए कानून में डिमांड पर काम मिलेगा। अब मनरेगा में जी आई एस उपकरण, पी एम गति शक और केंद्र के डिजिटल नेटवर्क अनिवार्य है। स्थानीय प्राथमिकताएं अब विकसित भारत नेशनल रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर स्टैंड से फिल्टर होगी। इसमें बायोमेट्रिक्स, जिओ टैगिंग, डैश बोर्ड और AI ऑडिट जरूरी होगी। इसमें अकुशल श्रमिकों खासकर महिला श्रमिक जो निरक्षर हैं उन्हें दिक्कत आ सकती है।

यह कानून राष्ट्रीय राज्य जिला प्रखंड और गांव के स्तर पर मिशन को समन्वित जवाब दे और पारदर्शी तरीके से लागू से करने के लिए एक स्पर्श संस्थागत ढांचा बनता है।

निष्कर्ष:-

विकसित भारत रोजगार गारंटी और आजीविका मिशन कानून(2005) भारत की ग्रामीण रोजगार निति में अमूल चुक बदलाव का प्रतिनिधित्व करता है। मनरेगा ने समय के साथ भागीदारी, डिजिटलीकरण और पारदर्शिता में महत्वपूर्ण लाभ हासिल किया लेकिन कुछ सवाल के जवाब भी छोड़ देता है। जब 100 दिन की रोजगार गारंटी योजना में सभी लोगों औसतन 50 दिन लगभग 8% लोगों को ही 10 दिन काम मिल पाता था तो 125 दिन के रोजगार गारंटी योजना में कितना काम मिलेगा। जब राज्य का इस योजना में 40% अंशदान देना निर्धारित है।

सुझाव:-

सार्वजनिक हित के लिए ग्रामीण स्तर पर जो कार्य किये जाए उसमें मनरेगा मजदूरों को प्राथमिकता दें। अकुशल और निरक्षर ग्रामीण महिला और पुरुष मजदुर को डिजिटल गतिविधि के बारे में अवगत करायें। आम सभा बुलाकर इच्छुक मजदुर को प्राथमिकता दें। असहाय महिला मजदुर को प्राथमिकता दें।

सन्दर्भ:-

1. विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन-2025
2. मनरेगा के मुल्यांकन पर अखिल भारतीय रिपोर्ट: एप्लायड मैनेपावर रिसर्च नोयडा के 20 जिलों का सर्वेक्षण-2017
3. भारत की जनगणना-2011
4. मनरेगा के कार्यान्वयन की प्रक्रियाएं, संस्थाएं और क्रियाविधि: प्रभाव मुल्यांकन
5. ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा बिहार और झारखण्ड प्रायोजित भारत सरकार और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम: